THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. LAKSHMANAN): Mr. Goswami, are you insisting on your resolution?

SHRI DINESH GOSWAMI: My point was to place the problems before the House and the Government. I have placed them. I do not stand on prestige issue to put the matter to vote. I do not mind withdrawing it. But I hope the Prime Minister will consider these problems.

SHRI BHUPESH GUPTA: You see how reasonable we are.

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, I withdraw the resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G: LAKSHMANAN): The question is:

"That leave be granted to the mover to withdraw the resolution."

The motion was adopted.

The resolution was, by leave, withdrawn.*

SHRI BHUPESH GUPTA: He thinks, he can only be reasonable and that I cannot share reasonableness. I share his reasonableness.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER TO STARRED QUESTION 22 GIVEN ON 25TH APRIL, 1979 REGARDING DISTRIBUTION OF WHEAT AND RICE TO STATES UNDER THE 'FOOD FOR WORK' PROGRAMME

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) उप-सभाध्यक्ष महोदय, 25 अप्रैल, 1979 को "काम के बदले अनाज योजना" के सम्बन्ध में जो प्रश्न सदन में उठाया गया था और उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया था उनसे कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। "काम के बदले अनाज योजना" एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से गांवों के विकास की गति में तेजी आई है। लेकिन इस योजना के अन्तर्गत जगह जगह पर जो अनाज दिया गया है और इससे लोगों को जो रोजगार मिला है और इस सम्बन्ध में जो मैनडेज बताई गई हैं उनमें बहुत अन्तर है। उदाहरण के लिए बिहार में दो लाख मिट्रिक टन अनाज देने की बात बताई गई है। वहां पर जो मैन डेज बताई गई हैं वे 77.720 लाख बताई गई है और जिन लोगों को रोजगार मिला उनकी संख्या 2,590 लाख बताई गई है। उड़ीसा में 2 लाख 3 हजार टन गेहूं और चावल दिया गया। बिहार के अन्दर दो लाख मिट्रिक टन अनाज से 77.720 लाख मैन डेज को काम मिला। उड़ीसा में 175,640 लाख मैनडेज को काम मिला। इस प्रकार यह दुगुने से भी ज्यादा है। इसी प्रकार से वहां पर जो लोग लाभान्वित हुए उनकी संख्या 5.855 लाख बताई गई है। इसी तरह से राजस्थान में दो लाख 61 हजार टन अनाज दिया गया। वहां पर उनका कहना है कि 53.760 लाख मैन डेज प्राप्त हुए और जो लोग इस योजना से लाभान्वित हुए उनकी संख्या 1,792 लाख बताई गई है। इस तरह से आप इन सब आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें दुगुने से भी ज्यादा का अन्तर है। यह अन्तर क्यों है? सरकार का कहना है कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग मात्रा में अनाज देने से यह अन्तर हुआ है। कहीं पर तीन किलो अनाज दिया गया, कहीं पर चार किलो दिया गया और कहीं पर पांच किलो दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे इतना अन्तर नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि विभिन्न स्थानों में मजदूरी में अन्तर है. . . (*Interruptions*) ऐसा लगता है कि इसमें मजदूरों का शोषण हुआ है और लोगों को इस योजना से जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल रहा है। उनको काम मिलना चाहिए, इससे उनको

*For the text of the Resolution vide cols. 128 supra

लाभान्वित होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए । एक तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस अन्तर का कारण क्या है और किस तरह से हम इस योजना को आगे चला रहे हैं । शोषण आगे नहीं चलेगा लोगों को सही रूप में उनकी मजदूरी मिलेगी और इसमें लोग लाभान्वित होंगे इसके लिये साफ तौर पर सरकार स्थिति को स्पष्ट करे । दूसरा कारण यह हो सकता है और वह यह कि कितना काम हमने कराया, कितने लोगों को रोजगार दिया इस बारे में जो देखने में आता है वह यह है कि इनफ्लेटेड फिगर्स, आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा करके दे दिया जाता है । यह नहीं होना चाहिए । जो वास्तविक स्थिति है उसको साफ तौर से बताया जाना चाहिए । मध्य प्रदेश से आने वाली एक माननीय सदस्या ने कहा कि इसमें ठकेदारी प्रथा है । गेहूं ठेकेदार को दे दिया जाता है और इसके लिये उन्होंने कहा कि इस प्रथा को बन्द करना चाहिए । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कारण से फिगर्स में अन्तर आता है ?

एक दूसरी बात जिसकी तरफ मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि गेहूं का भविष्य में कैसे वितरण करेंगे ? 1978-79 में कुल गेहूं का जो उपयोग किया गया है वह 1378 हजार मीट्रिक टन है । आगे के लिये आप कहते हैं कि 15 लाख टन गेहूं हम देंगे । एक तो आपने लोगों की इच्छायें जागृत कर दी और काम के बदले अनाज के अतर्गत विकास के लिये द्रुत गति से एक अभियान आरम्भ कर दिया । अब आप कहते है कि हम तो सिर्फ 15 लाख टन देंगे । इसका असर क्या होगा ? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने राज्य राजस्थान के उदाहरण से इस बात को साफ करना चाहता हूं । हमारे यहां जैसा कि आपने कहा है कि 2.61 लाख टन आपने अनाज दिया और उसके साथ साथ क्योंकि हमने मार्च तक काम किया था, इसलिये उस काम के लिये 50 हजार टन गेहूं आपने और दिया जिसका हमने मार्च महीने में जो काम किये गये है उनकी मजदूरी के भुगतान में उपयोग किया इस तरह 3.11 लाख मीट्रिक टन गेहू हमको दिया गया । अब आप कहते है कि आगे राजस्थान को 1 लाख टन गेहूं दिया जायगा और उसमें से यह 50 हजार टन गेहूं काट लिया जायेगा जिसका उपयोग हमने मार्च में किया है । इस तरह से केवल 50 हजार टन गेहूं हमें दिया जायेगा । अब स्थिति क्या है । उपसभाध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान में जो काम शुरू किये गये उनकी संख्या 58250 है जिनमें 40 लाख काम पूरे हो चुके है और 18280 काम अभी अधूरें हैं जिन्हें कि पूरा करना है । उनके लिये अलाटमेंट नहीं है । डेढ़ लाख टन गेहूं के अगेंस्ट जो 50 हजार टन गेहूं दिया जायेगा उसका नतीजा क्या होगा ? किसके ऊपर इसकी मार पड़ेगी? इनमें अधिकांश काम ऐसे हैं जैसे कि स्कूलों की बिल्डिंग को कम्पलीट करना, पंचायत भवनों की छत डालना-- छत तक वह पहुंच गये हैं जिन पर कि अभी कुछ डालना है, अधूरा काम पड़ा है, पलस्तर का काम है इस तरह के दूसरे काम हैं, उन सब कामों को यदि अधूरा छोड़ देंगे तो मुश्किल किसकी आयेगी ? मुश्किल आयेगी गांव के पंचायत की और उसके सरपंच की जिन्होंने लोगों में इसके लिये इतना उत्साह पैदा कराया और जिन्होंने गांव के लोगों को इसमें लगाया । राजस्थान के बारे में आपने कहा कि आपने इतना मेंडेज दिये और इतना काम हुआ । लेकिन राजस्थान में इतने से 55 करोड़ के काम किये गये हैं । इन 55 करोड़ के कामों में जहां आपके काम के बदले अनाज दिया गया है वहां पंचायतों ने भी अपने आप में से पैसा दिया है, उन्होंने उसमें अपना पैसा भी लगाया है । राज्य सरकार ने भी उसमें अपना कन्ट्रीब्यूशन दिया है और गांव ने लोगों के वालियन्टरली अपना कन्ट्रीब्यूशन दिया है, श्रमदान किया है । तो यदि यह काम अधूरे पड़े रहे तो इससे

[श्री नत्थी सिंह]

सरपंच की मुश्किल आ जायेगी और यह जो सारा काम अधूरा पड़ा है उस का क्या जनता को कोई लाभ मिल पायेगा ?

अपने काम के बदले अनाज योजना शुरू की उससे वहा एक फिजा पैदा हुई है। परन्तु यदि अब आप इस को पूरा नहीं करेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि काम भी नहीं और जनता का विश्वास भी इस तरह की योजनाओं से उठ जायेगा ? राजस्थान की मांग है कि हमें तीन लाख टन गेहूं दिया जाय अगले साल के लिये और उसमें से 50 हजार टन गेहूं जिसको मार्च के महीने में यूज किया है उसको न काटा जाय। अगर आप चाहते हैं कि यह योजना चले तो इसके लिये जो आपने 15 लाख टन रखा है उसको बढ़ाकर 30 लाख टन कर दिया जाय और राजस्थान की 3 लाख टन की जो मांग है उसको पूरा किया जाय तब जाकर यह योजना जो कि अच्छी तरह से और बड़े उत्साह से शुरू है वह चलती रहेगी। इसी के साथ-साथ इस बात की भी जरूरत है कि इस योजना में जो खामियां रही मजदूरी देने में या मजदूरी में जो अंतर रहा, लोगों को मजदूरी सही तौर पर नहीं मिली, ठेकेदार बीच में जो आ गये, इन सारी खामियों को आप दूर करें और इस योजना को कारगर ढंग से लागू किया जाय तभी जाकर निश्चित रूप से यह काम सफलतापूर्वक चलेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बीच में हमारे यहां से प्रधानमंत्री जी भी गये। इस बीच में और लोगों ने कहा कि आप जितना काम कर सकते हैं करें, अब कोई कमी नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। एक मीटिंग में जिसमें प्रधान मंत्री जी थे, हमारे मुख्य जी मंत्री थे, मैं भी था। यह मीटिंग हमारे भरतपुर जिले में डीग में हुई। वहां पर उन्होंने कहा कि इस सारे काम की जिम्मेवारी सरपंच पर है। हम तो जितना आप अनाज उठाना चाहते हैं वह काम के बदले अनाज योजना देंगे। लेकिन अब इसका नतीजा क्या होने जा रहा है आप तो गेहूं देना बन्द कर रहे हैं जिससे आप के सारे काम इससे नष्ट होने जा रहे हैं और इससे काम रुकेंगे और इसके कुपरिणाम भोगने की जिम्मेदारी बेचारे चुने हुए सरपंच पर आ जाएगी। यह ऐसे होगा जैसे कि पहले होता था। गांव में उत्साह से काम शुरु हुए, इसकी प्रतिक्रिया में बदल कर और इसके प्रति आस्था उठ गई। हमने यह सब गांव में देखा है। कम्युनिटी डवलपमेंट से लेकर ब्लाक कमेटी और चुनी हुई पंचायत समितियों तक सब में हमने देखा है। धीरे-धीरे गांव में काम शुरू किए जाते हैं उनको उसी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। वही पुरानी प्रणाली फिर से न दोहराई जाए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस अनाज को 15 लाख टन से 30 लाख टन कर दिया जाए। राजस्थान ने जिसने इतना बड़ा काम किया है, 58 हजार कामों में से 40 हजार पूरे कर लिए हैं और बकाया 18000 रह गए हैं इसलिए 3 लाख टन जो अनाज मांगा है वह दिया जाए। जिस 50 हजार टन का उपयोग हो चुका है वह इसमें से न काटा जाए। यह मेरा निवेदन है। मुझे आशा है आप इसी दृष्टिकोण को लेते हुए गांव में विकास की जो दुर्गति हुई है उसको और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे न कि ब्रेक लगाने के लिए। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : उपसभाध्यक्ष जहां तक मजदूरी की दर का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नतीजे इन आंकड़ों से निकाले गये हैं जो कि पिछले प्रश्नोत्तर के दौरान दिए गए थे वे ठीक नहीं हैं क्योंकि हमने जो पहले सूची दी थी उसमें हमने अनाज की क्या मात्रा किस राज्य को दी है वह बतलाई थी। दूसरी सूची जिसमें हवाला दिया जाता है कि इतने मैन डेज काम हुआ, इतने लोगों को काम मिला, वह केवल सितम्बर महीने तक की है। काम मुख्य रूप से अक्तूबर से, बरसात के बाद होता है। अब किस राज्य में

सितम्बर के पहले कितना इस्तेमाल कर लिया उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई थी और उसी के आधार पर हमने यह कहा था कि सितम्बर के महीने तक इतने मैन-डेज इम्प्लायमेंट जेनरेट हुआ लेकिन इसके मायने यह नहीं है कि व जो पूरी मात्रा अनाज की दी गई थी वह सबकी सब सितम्बर के पहले ही खत्म हो गई। अब किस राज्य ने किस गति से खर्च किया यह तो पूरे साल का जब विवरण आएगा तब उससे आप नतीजा निकाल सकते हैं। यह कहा गया कि जो मजदूरी दी गई वह एक जैसी रही या भिन्न-भिन्न रही इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरी की दर देश के विभिन्न राज्यों में एक जैसी है भी नही। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू करने की मुख्य रूप से जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी को निभायेंगी क्योंकि यह फूड फार वर्क प्रोग्राम जो है यह वास्तव में राज्य सरकारों की देख-रेख में चलता है इसलिए यह आशा उनसे की जा सकती है कि वे मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार ही पेमेंट करेंगे। हमने मजदूरी की मात्रा के विषय में कोई पाबान्दी नहीं लगाई है सिवाय एक बात के वह यह है कि किसी एक व्यक्ति को जो काम करेगा उसे अनाज की शक्ल में मिनिमम वेजेज एक्ट की जो राशि है उस पर जितना गल्ला खरीदा जा सकता है उससे ज्यादा न दिया जाये परन्तु फिर भी राज्य सरकार को यह छूट होगी अगर वह चाहे तो गल्ला देने के अतिरिक्त वह नकदी रूप में मजदूर को कुछ अधिक भी दे सकती है। लेकिन जहां तक फूड फार वर्क से अनाज निकाल कर मजदूरी देने का सम्बन्ध है यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि मिनिमम वेजेज एक्ट में जितना गल्ला खरीदा जा सकता है उससे ज्यादा अनाज एक व्यक्ति को न दिया जाए। यह प्रतिबन्ध इसलिए लगाना पड़ा कि मुख्य रूप से राजस्थान में उन्होंने स्किल्ड लेबरर को पत्थर ढोने वालों को काफी मात्रा में अनाज देना शुरू कर दिया था। यह इस स्कीम की मंशा बिल्कुल नहीं है और ऐसा होने से मान लीजिए किसी को 30 किलोग्राम मजदूरी प्रति दिन दी जाय जैसे कि राजस्थान में कुछ लोगों को दी गई तो उसका परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति या उसका परिवार उस अनाज की खपत नहीं कर सकेगा इसलिए वह बाजार में पहुंचेगा और उसे बेचेगा। इस प्रकार से इस फूड फार वर्क योजना की बदनामी होगी इसलिए हमने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि किसी व्यक्ति का जितना मिनिमम वेज है और उसमें जितना अनाज खरीद सकता है उससे ज्यादा न मिले जिससे कि जो कुछ अनाज उसे मिलता है वह उसके अपने परिवार के खर्च में लगे बाजार में न उसको वह बेचे।

दूसरी बात जो उठायी गई कि राजस्थान में काम बहुत तेजी से हुआ। अन्य राज्यों मे जैसे उडीसा और मध्य प्रदेश में भी काम हुआ है। इसको मैं थोड़ा विस्तार में बतलाना चाहता हूं। यह योजना अप्रैल सन् 77 में चलायी गई थी लेकिन है जिस रूप में यह रखी गई, राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार नहीं किया था और यह योजना चल नहीं पायी थी। फिर जो इसमें कमियां थीं उनको दूर करके हम लोगों ने इसको सितम्बर अक्टूबर में चलाने की कोशिश की। इसका जो पहला वर्ष था उस वर्ष बहुत थोड़ा अनाज का इस्तेमाल, लगभग सवा लाख टन हुआ। दूसरे वर्ष यह कोशिश की गयी कि ज्यादा से ज्यादा राज्य इस योजना को अपनाएं और इस अनाज का इस्तेमाल करें इसलिए तब कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया कि कितनी मात्रा में वह अनाज का इस्तेमाल करें। जिस राज्य ने जितना मांगा उसको उतना दिया गया। सन 78-79 में। अब राजस्थान ने जितनी कुल मांग की थी उसको उतना दे दिया गया इसी

[श्री भानु प्रताप सिंह]

प्रेम कार अन्य राज्यों ने जो कुछ मांग की वह उनको दे दिया गया कुछ और रियायतें भी की गयी जैसे पहले हम केवल गेहूं देते थे बाद में 50 फीसदी चावल, फिर 75 फीसदी चावल और अब अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो कुल का कुल चावल के रूप में ले सकती है। कुछ राज्यों की मांग थी कि उनको ज्वार दिया जाय। पहले ज्वार नहीं था इसलिए नहीं दे पाते थे। अब हमने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार ज्वार मांगती है तो वह भी देंगे। इस प्रकार से अब यह योजना देश के सभी भागों में चालू हो सकती है। गेहूं खाने वालों के लिए भी सुविधा मिल सकती है, चावल खाने वाले क्षेत्रों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ज्वार खाने वालों के लिए भी सुविधा मिल सकती है। इसका परिणाम यह निकला कि अब वह योजना बड़ी लोकप्रिय हो गयी है और लोकप्रिय होने के साथ-साथ हमारी कुछ कठिनाइयां भी बढ़ गई हैं। जहां पहले हम राज्य सरकारों से कहते थे कि आप इस अनाज को लीजिए और अपने राज्य में कुछ काम करिए वहां अब उल्टा उनकी मांग इतनी ज्यादा हो गई है कि उनकी मांग को पूरा करना सम्भव नहीं होता है। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो कुछ मांगा था 2,61,000 टन वह उनको दे दिया गया था। लेकिन यह उस वर्ष के लिए था। यह 50,000 टन जिसका जिक्र कर रहे हैं, यह वास्तव में उनको 79-80 वर्ष के लिए दिया गया था और यह मार्च में रिलीज इसलिए कर दिया गया कि काम में बाधा न आये, और यह चलता रहे। उनके काम के कारण चूंकि यहां से रिलीज आर्डर होने में और वहां प्राप्त होने में कुछ समय लगता है इसलिए यह किया गया है वास्तव में यही मंशा था कि यह अनाज अप्रैल के बाद इस्तेमाल होगा। अतः यह वास्तव में इस वर्ष का अनाज है। लेकिन अब आपके बयान के मुताबिक ऐसा लगता है कि उसके पिछले वर्ष में खर्च कर दिया गया है अब हमारी कठिनाई यह है कि जो सरकारों की मांगे हैं वे बहुत बढ़ गई है। हमने शायद पिछले साल पौने 14 लाख टन अनाज बांटा। अगर हम अब सबकी मांगो को पूरा करेंगे तो सम्भव है कि शायद 50 लाख टन में भी पूरी न हो। इसलिये अब इस सीमा को बांधना आवश्यक हो गया है। यह सीमा अभी तक दो प्रकार से हम रख रहे हैं, एक तो तत्काल हमने यह निर्णय किया है कि 15 लाख टन का हम बंटवारा राज्यों में कर देंगे और उनको यह कहेंगे कि इसके अन्दर ही अब वे अपने काम को चलायें। यद्यपि यह योजना बड़ी लोकप्रिय रही है और सभी तरफ से इसकी प्रशंसा हो रही है, फिर भी हम चाहते है कि इसका इवेल्यूएशन हो और जो मुख्य राज्य हैं, आठ-नौ राज्य जहां यह बड़े पैमाने पर चली है, उन सब राज्यों में हम अपनी इवेल्यूएशन टीम्स भेज रहे हैं। यह टीम्स अपनी रिपोर्ट सितम्बर, तक दे देंगी। अगर इनकी रिपोर्ट सन्तोषजनक रही और जैसी एक धारणा बनी है कि इससे लाभ बहुत हुआ है, उसकी इन रिपोर्टस से भी पुष्टि हुई तो हम इस 15 लाख टन को बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। ऐसी कोई अभी अन्तिम सीमा नहीं है कि यदि सदुपयोग भी हो, फिर भी हम 15 लाख टन से आगे नहीं जायेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जब तक कि हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जाएं कि इसका सदुपयोग हुआ है, तब तक एक टेन्टेटिव हमारा जो एलोकेशन है, वह सिर्फ 15 लाख टन दिया है।

अब यह 15 लाख टन किस प्रकार से राज्यों में बांटा जाए, यह भी एक समस्या हो गई क्योंकि जिन राज्यों में, जैसे राजस्थान उनमें है सब से आगे, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने जिन्होंने ज्यादा खर्च दिया, इसलिये इनकी आशाएं भी ज्यादा हो गई। लेकिन श्रीमन्,

आपको मालूम है कि राजस्थान की आबादी बहुत कम है और यदि हम उनकी पूरी आवश्यकता को पूरी करें और उसी हिसाब से दूसरे राज्य भी हमसे मांगें तो हम उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकते। इसलिये इस 15 लाख टन को दो आधार पर बांटने का निर्णय किया है। साढ़े सात लाख टन तो हम केवल आबादी के आधार पर बांट देंगे और शेष साढ़े सात लाख टन जो पिछले वर्ष उनका काम हुआ है उसके आधार पर बांट देंगे, इसलिए कि एकदम कोई बहुत बड़ा धक्का न लगे क्योंकि यदि राजस्थान जैसे राज्य को केवल आबादी के आधार पर गल्ला दें, तो वह बहुत कम हो जाएगा। लेकिन आबादी के आधार पर जो उनका भाग निकलता है, उसमें पिछले साल जो उन्होंने ज्यादा काम दिया उसको देखते हुए हम उनको दूसरी श्रेणी में ज्यादा अलाटमेंट कर रहे है। तो इस प्रकार एक कन्टिन्युटी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जो जानकारी है कि राजस्थान को केवल एक लाख टन ही मिलेगा, मैं उसका आधार नहीं जानता हूं कि कहां से उनको यह सूचना मिली। मैं यह कह सकता हूं कि यह सूचना गलत है। हमने राज्य सरकारों को सूचना दी है कि इस 15 लाख टन के अन्दर उनको इन मात्राओं में अनाज मिलेगा और अब वे अपना कार्यक्रम इसके अन्तर्गत ही बनाएं। यह जो हम अलाटमेंट कर रहे हैं, यह कहना तो जरूर है कि चाहे जितने बड़े पैमाने पर कार्य शुरू किया गया हो, वह पूरा तो किया ही जा सकता है। कोई काम अधूरा नहीं रह सकता। इस वर्तमान अलाटमेंट में यह बात दूसरी है कि नये काम न ले सकें, लेकिन जो शंका व्यक्त की गई है कि जो स्कूल बन गये आधे में पड़े रह जायेंगे या और काम अधूरा रह जायगा, वह नहीं होगा। जो हम एलोकेशन कर रहे हैं, वह कम से कम पुराने कामों को पूरा करने के लिये काफी होगा। वह काम, चाहे जितने बड़े पैमाने पर राजस्थान में किया गया हो, उस में कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हमको राज्यों के बीच में कुछ इन्साफ तो करना ही पड़ेगा। वह स्थिति रही नहीं जो पिछले साल थी कि हम राज्य सरकारों से कहते थे कि इस गल्ले का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो और अब स्थिति बदल गई है कि हर एक राज्य सरकार अपनी मांगें ही नहीं पेश करती हैं बल्कि उस के लिए तर्क भी पेश करती है। जिस प्रकार से इस देश के टैक्सेज के बंटवारे के बारे में काफी उलझनें पैदा होती चली गई है और उसके लिए फाइनेन्स कमीशन नियुक्त किया गया उस प्रकार के तर्क अब राज्य सरकारों ने लिए है कि हमारी ट्राइबल पापुलेशन को देखा जाए और हमारी पर कैपिटा इन्कम को देखा जाए, वगैरह वगैरह परन्तु वह जटिल हो जायगा इसलिए केवल ग्रामीण आबादी के आधार पर आधा बांटा गया है और आधा पिछले साल के परफार्मेन्स पर बांटा गया है। जब हमें रिपोर्ट मिल जाएंगी क्योंकि विभिन्न राज्यों से हमने विभिन्न एजेंसियों को लगाया है, उस के बाद यदि हम संतुष्ट हुए कि काम ठीक से चल रहा है, इस से जन-हित हो रहा है तो इस मात्रा को बढ़ाया जाएगा लेकिन वह बढ़ी हुई मात्रा जो है वह परफार्मेन्स के आधार पर ही होगी, वह फिर आबादी के आधार पर तो जो एडीशन होगा सितम्बर, के बाद वह केवल विभिन्न राज्यों के परफार्मेन्स के ऊपर निर्भर करेगा। यह मैंने एक प्रकार से बतलाने की कोशिश की है कि इस प्रश्न पर किस प्रकार से हम सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं।

मैं एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी कोई ऐसी मन्शा नहीं है कि मजदूरों के मिनिमम वेजेज़ से कम अनाज दिया जाए। हम यह भी नहीं चाहते कि जो काम शुरू किया है वह बंद हो जाए या उसको किसी प्रकार से क्षति हो लेकिन हमको यह विचार करना पड़ेगा कि विभिन्न राज्यों के बीच में बंटवारा न्यायसंगत ढंग से हो और

[श्री भानू प्रताप सिंह]

किसी को यह शिकायत न हो कि किसी के साथ पक्षपात हुआ है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को मेरे उत्तर से संतोष हुआ होगा और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) मुझे एक प्रश्न पूछना है ;

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. LAKSHMANAN): Only one minute, please.

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि यह योजना पापुलर हुई है, और हम लोग इस बात को मानते हैं चूंकि हमारे बिहार राज्य में भी इस योजना पर काफी खर्च हुआ है और मंत्री महोदय जानते ही हैं कि बिहार राज्य इस देश में, आप के प्रदेश के बाद, आबादी के हिसाब से दूसरा स्थान रखता है। आपने ट्राइबल्स की बात कही, पर कैपिटा इनकम की बात कही, वह भी बिहार के बारे में आप जानते हैं, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। पूरा छोटा नागपुर का इलाका ही आदिवासियों का है और उस में काफी काम किया गया है। इसलिए इस को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा और आपने स्वयं कहा है कि जिस तरह से टैक्सों के बंटवारे के लिए राज्य सरकारें अलग अलग मांग करती हैं, उसके लिए फाइनेंस कमीशन विचार करता है, तो उसी आधार पर यह बात सही है और खुशी की बात है कि आपके पास अन्न का भंडार काफी है—चावल भी है, गेहूं भी है—इसलिए आप इस में कंजूसी न करें। राजस्थान की भी अपनी मांग है, उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश जिन की आबादी चूंकि अधिक है, पर कैपिटा इनकम कम है, इतना बड़ा अनइम्प्लायमेंट का सवाल है और आज इसी सदन में ईस्टर्न रीजन के बारे में डिस्कशन हो रहा था, इसी विषय पर वाद विवाद हो रहा था। तो उन इलाकों में बड़ी भयंकर बेकारी है, उस को दृष्टिकोण में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि इस योजना को चालू ही नहीं रखेंगे बल्कि क्या इस पर पुनर्विचार करेंगे कि हर राज्य को कैसे अधिक मिले इसके लिए अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करेंगे ताकि और अधिक सुचारू रूप से उस पर कार्यान्वियन कर सकें। मिनिमम वेजेज जो हैं, वे जरूर मिलें। राज्य सरकारों को इसके लिए तम्बीह करें इसके लिए आश्वासन चाहता हूं कि इस को बढ़ाने की तरफ क्या कदम उठाएंगे। इस मांग को ध्यान में रखते हुए कृपा करके यह बताने का कष्ट करें।

श्री भानू प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं एक बात यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह योजना पूरे साल एक जैसी नहीं चलती। यह मुख्य रूप से नवम्बर से लेकर मार्च, अप्रैल, मई या ज्यादा से ज्यादा जून तक चलती है। बरसात के समय में यह बहुत धीमी पड़ जाती है। विशेषकर बिहार में मैं निश्चित रूप से जानता हूं इस में कोई काम हो नहीं सकेगा। तो मैं ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सितम्बर यानी बरसात खत्म होते होते जब हमारे सामने मूल्यांकन की सारी रिपोर्ट आ जायेंगी उस समय हम इस को बढ़ाने पर जरूर विचार करेंगे। इस में कंजूसी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यदि ग्रामीण निवासियों का इससे भला होता है और वहां ड्यूरेबिल एसेट्स पैदा होते हैं। इस योजना से लाभ जरूर कई प्रकार से हैं। एक तो सड़कें, नहरें बनती हैं जिन के लिए गांव वाले बहुत दिनों से तरस रहे थे। दूसरे यह भी देखा गया है कि बावजूद इसके कि बहुत सारे मिनिमम वेजेज एक्ट राज्यों में चालू है और उन को एनफोर्स करने की भी कोशिश की गयी, जितना यह फूड-फार-वर्क मिनिमम वेजेज को इम्पलीमेंट कराने में सहायक हुआ है उतना और कोई प्रयास नहीं हुआ। आज जब किसानों को चार किलो, पांच किलो गेहूं मिलता है तब वह दो रुपये, तीन रुपये में काम करने नहीं जाते।

उन को एक आल्टरनेटिव ऐसा मिल गया है जिस के सहारे वे उन लोगों के चंगुल से, जो उन का शोषण करते थे, निकल आये है ।

तीसरा एक और लाभ हुआ है और वह यह हुआ है कि देश में कुछ पाकेट्स हैं जहां आसानी से अनाज नहीं पहुंच सकता था । वहां कमी के मौसम में मूल्य बढ़ जाया करते थे, लेकिन चूंकि यह अनाज वहां पहुंच रहा है इस योजना के अन्तर्गत इस लिए मूल्य भी नहीं बढ़ पा रहे हैं । तो मूल्यों को बराबर रखने में, मिनिमम वेजेज इन्श्योर करने में और एक वैकल्पिक काम देने में यह योजना सहायक हुई है । और फिर ऐसी चीजें बन रही है जो उनके परमानेंट फायदे की होंगी । लेकिन साथ ही में यह कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद बहुत तेजी से दौड़ कर इस योजना का इतना विस्तार न कर दिया जाय कि फिर उस का नियंत्रण मुश्किल हो जाय । राज्य सरकारों की प्रशासनिक सीमाएं हैं और मैं समझता हूं कि हमारे लिए उन सीमाओं को देखते हुए किसी योजना को लंबे अरसे तक एक सामान्य गति से चलाते रहना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि उस को बहुत बढ़ा दिया जाय और प्रशासनिक नियंत्रण न हो सके और फिर उसमें तरह-तरह की शिकायतें पैदा होने लगें । इसलिए हम चलना तो चाहते हैं, हमारा उद्देश्य वही है जो माननीय सदस्यों का है, इस में कंजूसी का सवाल नहीं है, सौभाग्य से हमारा अन्न भंडार भरपूर है, लेकिन हम हर स्टेप पर यह देख कर चलना चाहते है कि इस अनाज का सदुपयोग हो रहा है अथवा नहीं ।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): Sir, I have only one question to put. This programme will be of very great help if it is implemented properly. Everybody realises that point. But, Sir, on the basis of my experience in my State of Orissa where a good performance has been shown, I just want to point out certain things to which

he should give good attention and have them remedied.

Sir, two things were noticed—a heavy buffer stock and the suffering of the multitude because of unemployment. These two things could be synchronised in such a way that they could be untilised for some work and they could also get something. Therefore, Sir, though it was said at one time that it was a misnomer to call it 'food for work' because there were really people who were not getting the food, they do some work and get some food. But the scheme was changed as 'grain for work' because really it was not the food that was being given but it was the grain that was given for work. Therefore, Sir, it was changed. Otherwise, they were really getting food for the work that they were doing. Now, if you are interested to give them food, as you should and it is your responsibility, please see that this is not given to the contractor. Every bit of work, you have entrusted for durable assets. But is it true that this is being done here in Orissa? A lot of money has been wasted on throwing morum on bad roads which never needed the morum. And who did it? It was the contractor. And who is the person through whom it was done? It was the B.D.O. Therefore, there is the commission, there is the percentage and they will again be the persons who will be reporting to you. Therefore, these figures of mandays etc. may be correct, may be incorrect, but this is always correct and it cannot be refuted that it is only these contractors who make money out of this thing and much of the grain that you have provided has not been really utilised on durable assets which was the aim of the scheme and which should be the object of the scheme also and it should be continued that way.

About the minimum wages, it is, Sir, known that there is no machinery as yet to find out whether the minimum wages are being paid or not. The implementation of the Minimum

[Shri Lakshmana Mahapatro]

Wages Act is the responsibility of the State Government. But there is absolutely no machinery to find out whether it is being done. What all is provided in the law is that if a particular contractor or any person who has been entrusted with a particular work by the Government or the BDO does not pay the minimum wages and it comes to the notice of the authorities or is proved before the authorities, to whom a complaint may be made that he does not give the minimum wages, he will be blacklisted. Why should he? When he and the contractor are hand in glove in all these matters? Therefore, I say that you have taken advantage of the big unemployment, of the suffering of these people, of the starvation of these people and these contractors, I tell you, are paying less than what was being paid earlier. Where are the people to go? They have no other place to go. There is no other work. You are interested in rural development. There is no durable asset being created. Therefore, my request is that since there is no machinery your evaluation team going and giving a report may get you some facts but the whole thing will not come to you and you are going to assess it on the basis of population. Sir, it is not the rural population. You have said very correctly it should not be on the basis of rural population only. You please just consider that it should be on the basis of agricultural labourer percentage which you get in the census. You have got the 1971 census as your basis and that will show you the position in Orissa as far as you want to give 7.5 lakh tonnes on the basis of population. On the performance basis also you can give. But it should not merely be on the basis of population, rural population. It should be on the basis of rural work force, i.e., the agricultural labour, and for that purpose you also please see that the needy people do get employment and for that purpose you direct the State Governments to ask their subordinate officers to prepare lists of persons who are in such distress state. They have not identified them as yet. They give it to anybody. The contractor employs only those persons who are in his muster rolls. Therefore, these are things which if you do not do, such a good scheme, which has gained so much of popularity, will bring discredit to the Government later. These are all the things which I want to bring to his notice and I seek his clarification on these matters. What would he propose to do in these matters, that I have pointed out?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I have said it earlier in this House and I reiterate that the utilisation of foodgrain through contractors is not at all allowed now. In fact, I have said that the State which uses contractors for getting work under this scheme will be debarred from this kind of help from the Central Government.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Why should the people suffer?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. LAKSHMANAN): Please hear him.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: The BDO does some mischief.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: The BDO is not the contractor. (*Interruptions*). If the State Government does not function and does not check its officers from going beyond the guidelines that we have given to them, then of course the State Government is responsible for that.

6 P.M.

There was some special reason for the use of contractors in Orissa. The reason was that most people in Orissa consume only rice. And at that time, we were giving only wheat. I was told that in Orissa, there are not even flour mills, not even small power-driven chakkis and, therefore, the workers could not make any use of the wheat that was being given to

them. To meet such a situation, the State Government had given this permission to the contractor to sell it in the cities where they had the flour mills and then distribute the wages in cash. This was brought to our notice and we sent a team for enquiry. We found the complaints substantially true and we have warned the State Government not to allow that kind of transaction again. But what is like to help most in the proper implementation is that now we are able to give them rice only which does not require a chakki and which can be straightaway put in the pot on fire and cooked and eaten. So, the main cause for that misutilisation has been removed and I have myself said that from time to time we issue guidelines to the State Governments and by and large I can claim that the scheme is being properly implemented. But in such a large scheme and under such varaied conditions, there are bound to be some complaints. As soon as we receive those complaints, we depute our officer to go there, make enquiries and take corrective measures.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 1979

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 1979, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 3rd May, 1979."

endment) Bill, 1979..

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. LAKSHMANAN): The House stands adjourned till 11 O'clock on Monday, the 7th May, 1979.

> The House then adjourned at three minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 7th May, 1979.

GMGIPMRND—LS II—323RS—5-9-79—570.